संख्या 810 /सा0प्रशा0/2003

प्रेषक:

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
पौडी/देहरादून/नैनीताल/टिहरी गढ़वाल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 12 जनवरी 2004

विषयः **उत्तरॉचल राज्य में स्वीकृत प्रशासनिक सुधार विभाग के 04 वृत कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के सेवा सम्बंधी प्रकरणों का निस्तारण।**

महोदय,

प्रशासनिक सुधार विभाग का संगठनात्मक ढॉचा स्वीकृत न होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–01/कार्मिक–2/2002,दिनांक 13–02–2002 के द्वारा 04 वृत कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा सम्बंधी सभी दावों के निस्तारण की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गए थे, किन्तु प्रशासनिक सुधार विभाग के ,कतिपय कर्मियों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उनके अन्य सेवा सम्बंधी प्रकरणों यथा–प्रोन्नत वेतनमान/उपार्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश/सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (अस्थायी/स्थायी ऋण)/पेंन्शन आदि का निस्तारण दिशा निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी नहीं किया जा रहा है।

2– इस सम्बंध में आपका ध्यान आकृर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के चारों वृत कार्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों के सभी सेवा सम्बंधी सभी प्रकरणों का निस्तारण अग्रिम आदेशों तक सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव